A4/1

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– दिनेश कुमार यादव
आई.ए.एस.

अपील संख्या 421 / 2016

1. उस्मान गनी उर्फ समना पुत्र स्व. हुसैन खां जाति चोपदार मुसलमान निवासी मोहल्ला चोपदारान झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

—— अपीलान्ट्

बनाम

1. मोहम्मद युसुफ पुत्र स्व. फतेह मोहम्मद उर्फ कप्तान जाति चोपदार मुसलमान निवासी मोहल्ला चोपदारान झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
2. श्रीमती कलसुम बानो पुत्री स्व. फतेह मोहम्मद उर्फ कप्तान पत्नी हासम अली जाति चोपदार मुसलमान निवासी मोहल्ला चोपदारान झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
3. घीसेखां उर्फ घासीखां पुत्र स्व. हुसैन खां जाति चोपदार मुसलमान निवासी मोहल्ला चोपदारान झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
4. श्रीमती नानू पत्नी स्व. फतेह मोहम्मद उर्फ कप्तान जाति चोपदार मुसलमान निवासी मोहल्ला चोपदारान झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
5. मोहम्मद इकबाल पुत्र स्व. फतेह मोहम्मद उर्फ कप्तान जाति चोपदार मुसलमान निवासी मोहल्ला चोपदारान झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
6. अब्दुल लतीफ पुत्र स्व. फतेह मोहम्मद उर्फ कप्तान जाति चोपदार मुसलमान निवासी मोहल्ला चोपदारान झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
7. नत्थुखां पुत्र स्व. हुसैन खां जाति चोपदार मुसलमान निवासी मोहल्ला चोपदारान झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
8. श्रीमती पानाबानों पुत्री स्व. हुसैन खां पत्नी मंगतु अली जाति चोपदार मुसलमान निवासी सुलताना (हाथीराम का) तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
9. श्रीमती बिसमिल्ला पुत्री स्व. हुसैन खां पत्नी कासमअली जाति जाति चोपदार मुसलमान निवासी मोहल्ला चोपदारान झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
10. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

——रेस्पोडेन्टस

——

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 12.08.2016 तहसीलदार झुंझुनू नामान्तरकरण संख्या 97 ग्राम बाडलवास तहसील झुंझुनू

——

उपस्थितः–

1. श्री संदीप काजला – एडवोकेट अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री राजेश पुनियां – एडवोकेट – रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

3. श्री श्रवण कुमार सैनी – राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेन्ट संख्या 10 की ओर से।

आदेश

दिनांक 10.05.2018

उक्त विषयक अपील मय प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी के विद्वान तहसीलदार झुंझुनू के नामान्तरकरण संख्या 97 आदेश दिनांक 12.08.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. बाद सुनवाई दिनांक 22.03.2018 को स्वीकर किया जाकर अपीलान्ट को अपील पेश करने की अनुमति दी जा चुकी है। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्ट के अनुसार निम्नानुसार है – कस्बा झुंझुनू में मोहम्मद बक्श पुत्र शकरूखां जाति चोपदार मुसलमान निवासी मोहल्ला चोपदारान नामक व्यक्ति था जिसका देहान्त सन् 1965 में कस्बा झुंझुनू में हुआ। उक्त मोहम्मद बक्स का उतराधिकारी उसका लड़का हुसैन खां हुआ जिसका देहान्त दिनांक 28.08.1995 में हो गया। उक्त हुसैन खां के लड़के अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 घीसेखां उर्फ घासीखां व रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 नत्थुखां व फतेहमोहम्मद उर्फ कप्तान हुये थे व लड़कीयां रेस्पोडेन्ट नम्बर 8 व 9 है। उक्त फतेहमोहम्मद के लड़के रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 व 5 व 6 है व लड़की रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 है व पत्नी रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 है। ग्राम बाडलवास की सरहद में जमीन गत खसरा नम्बर 29 हाल खसरा नम्बर 54 रकबा 6.72 हैक्टर गत खसरा नम्बर 37 हाल खसरा नम्बर 79 रकबा 0.02 हैक्टर, हाल खसरा नम्बर 80 रकबा 0.02 हैक्टर कुआं हाल खसरा नम्बर 81 रकबा 5.07 हैक्टर है। यह जमीन पहले अपीलान्ट के दादा मोहम्मदबक्स की खातेदारी व कब्जे की थी जो उसके देहान्त हो जाने पर अपीलान्ट के पिता हुसैन खां की खातेदारी में दर्ज हुई। हुसैन खां के मरने पर रेस्पोडेन्टस नम्बर 8 व 9 ने अपने 1/5 हिस्से का जबानी दान अपने भाईयों के हक में कर दिया। इस कारण यह जमीन अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस नम्बर 3 व 7 व फतेहमोहम्मद उर्फ कप्तान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस जमीन में अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा है। जमीन गत खसरा नम्बर 4 रकबा 13 बीघा, हाल खसरा नम्बर 6 रकबा 3.29 हैक्टर वाके ग्राम बाडलवास है। इस जमीन का खातेदार काश्तकार पहले अजिमुदीन पुत्र मोहम्मद बक्स जाति चोपदार मुसलमान निवासी मोहल्ला चोपदरान झुंझुनू था जो अपीलान्ट के दादा मोहम्मद बक्स का रिश्तेदार था। माह जेठ सम्वत् 2003 में उक्त अजिमुदीन ने अपनी खातेदारी की इस जमीन को अपीलान्ट के दादा मोहम्मद बक्स को जबानीदान कर कब्जा करवा दिया व अजिमुदीन व्यवसाय के लिये मय परिवार हैदराबाद चला गया। हिन्दुस्तान का विभाजन होने पर उक्त हैदराबाद पाकिस्तान के तहत आ गया इस कारण उक्त अजीमुदीन व उसका परिवार हैदराबाद (पाकिस्तान) में रहे व अजीमुदीन का देहान्त वहीं हुआ। जबानीदान के आधार पर अपीलान्ट का दादा मोहम्मद बक्स इस जमीन हाल खसरा नम्बर 6 रकबा 3.29 हैक्टर का खातेदार रहा व काबिज रहा व लगान अदा किया। मोहम्मदबक्स से यह जमीन उतराधिकार में अपीलान्ट के पिता हुसैन खां को मिली। अपीलान्ट के पिता का देहान्त हो जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 ने अपने 1/5 हिस्से का जबानीदान अपने भाईयों के हक में कर दिया। इस कारण इस जमीन की खातेदारी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 व 7 व फतेहमोहम्मद उर्फ कप्तान को मिली व प्रत्येक का 1/4 हिस्सा रहा। जमीन गत खसरा नम्बर 4 हाल खसरा नम्बर 6 रकबा 3.29 हैक्टर को पहले उक्त अनुसार अपीलान्ट का दादा मोहम्मद बक्स काश्त करता था व काबिज था। दिनांक 19.06.1957 को रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 घीसेखां उर्फ घासीखां करीब 8 या 9 साल का बच्चा था व अपीलान्ट का दादा मोहम्मद बक्स वृद्ध हो चुका था। अपीलान्ट के पिता ने नायब

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

A43

तहसीलदार झुंझुनू से मिलकर इस जमीन का नामान्तरकरण संख्या 16 दिनांक 19.06.1957 के रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 के नाम गलत दर्ज करवा लिया। इस नामान्तकरण में पटवारी हल्का ने यह रिपोर्ट नहीं की कि किस आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया जावें। कालम नम्बर 14 में अजीमुदीन का फौत होना दर्ज किया लेकिन अजीमुदीन का पुत्र घीसेखां होना गलत दर्ज किया गया व निवासी झुंझुनू काटकर फतेहसरा गलत दर्ज किया। अजीमुदीन का वारिस रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 नहीं है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 उस वक्त नाबालिग बच्चा था। जमाबन्दी सम्वत् 2013 से सम्वत 2016 में अजीमुदीन का पुत्र घासीखां उर्फ घीसेखां होना गलत दर्ज है। इस प्रकार उक्त नामान्तकरण विधि विरूद्ध होने से शुन्य है व इसके आधार पर बना राजस्व रिकार्ड बहक रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 अवैध व शुन्य है। बयनामा दिनांक 03.02.2010 में रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 ने अपनी उम्र 61 वर्ष होना दर्ज करवायी जिसके अनुसार भी दिनांक 19.06.1957 को रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 घीसेखां 8 साल का बच्चा था। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 7 आपस में मिले हुये है व अपीलान्ट के खिलाफ साजिस कर रखी है। आपसी सुविधा से करीब 11 साल से अपीलान्ट जमीन खसरा नम्बर 6 रकबा 3.29 हैक्टर में से उत्तर की तरफ की आधी जमीन काश्त करता है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 ने अपीलान्ट को नुकशान पहुचाने की नियत से साजिस कर अपने भाई फतेहमोहम्मद उर्फ कप्तान की लड़की रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के हक में गलत रूप से जमीन खसरा नम्बर 6 रकबा 3.29 हैक्टर में से 1.65 हैक्टर जमीन का दान पत्र दिनांक 19.05.2005 को निष्पादित कर दिनांक 20.05.2005 को उप पंजीयक से सत्यापित करवाया। इस अवैध व शुन्य दान पत्र में बतौर गवाह फतेहमोहम्मद उर्फ कप्तान का नाम दर्ज है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 के लड़के इस्लामुदीन व मुख्तयार व लड़कियां श्रीमती सकीना, श्रीमती रतिया है जो शादी शुदा व परिवार शुदा है। इस प्रकार दान पत्र साजसी व अवैध है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 घीसेखां उर्फ घासीखां ने जमीन खसरा नम्बर 6 रकबा 3.29 हैक्टर वाके ग्राम बाडलवास में से 1.64 हैक्टर जमीन का बयनामा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हक में दिनांक 03.02.2010 को निष्पादित कर सत्यापित करवाया जो बयनामा भी अवैध व शुन्य व बिना हक के है व साजसी है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 के लड़के का नाम बतौर गवाह दर्ज है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 उक्त फतेहमोहम्मद उर्फ कप्तान का लड़का है। इस प्रकार अपीलान्ट के भाईयो ने साजिस कर बयनामा रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हक में करवाया जो बिना प्रतिफल व बिना कब्जे के व बिना अधिकार के होने से शुन्य है। इस बयनामें के आधार पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने दिनांक 12.08.2016 को तहसीलदार झुंझुनू से नामान्तरकरण संख्या 97 दर्ज करवा लिया। अपीलान्ट का उक्त जमीन में 1/4 हिस्सा है व आपसी सुविधा से जमीन खसरा नम्बर 6 में उतरी आधी जमीन को काश्त करता है व काबिज है। इस नामान्तरकरण से अपीलान्ट प्रभावित होता है। गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने के लिये अपीलान्ट द्वारा कहने पर उसके भाई समय निकालते रहे इस अपीलान्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू में दावा उनवानी उस्मान गनी बनाम घीसेखां आदि दावा घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा दावा संख्या 30/2010 दिनांक 03.03.2010 को पेश किया व इस दावे के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 17/2010 पेश की जिसमें दिनांक 05.03.2010 को अस्थाई निषेधाज्ञा हस्तान्तरण न करने निर्माण न करने व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के बाबत पारित की गयी। विवादित नामान्तरकरण दिनांक 11.10.2010 को पटवारी हल्का ने भरा व भु अभिलेख निरीक्षक ने रिपोर्ट की लेकिन उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित होने कारण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हक में नामान्तरकरण संख्या 97 तहसीलदार झुंझुनू द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा सका। उक्त दावे व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पेशी

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

दिनांक 09.06.2016 दी हुई थी। दिनांक 09.06.2016 को न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर पेशी दिनांक 07.09.2016 दी गयी लेकिन बिना सूचना के बिना पेशी के दावा दिनांक 01.06.2016 को अपीलान्ट की अदम हाजरी में खारीज कर दिया जिसका पता लगने पर अपीलान्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू में उस्मानगनी बनाम घीसे खां आदि प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सि.प्र.स. दिनांक 29.07.2016 को पेश किया जो दिनांक 04.08.2016 को दर्ज किया गया। दिनांक 17.08.2016 को मु.न. 84/2016 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के खिलाफ नामान्तरकरण दर्ज न करवाने का आदेश पारित किया लेकिन इसी दौरान उक्त प्रकरण के विचाराधीन रहते हुये तहसीलदार झुंझुनू ने दिनांक 12.08.2016 को गलत रूप से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हक में नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जो खारीज होने योग्य है। नामान्तरकरण में पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का ने दिनांक 11.02.2010 को अंकन किया व करीब 6 साल 6 माह तक नामान्तरकरण खाली रहा। इस बाबत तथ्यों पर गौर न कर करीब 6 साल 6 माह बाद नामान्तरकरण स्वीकृत करने में भुल की गयी है। भु राजस्व रूल्स 1957 के रूल 133 की पालना नहीं की गयी। पटवारी हल्का व तहसीलदार द्वारा कब्जे की जांच नहीं की गई। नियम 121 के प्रावधान की पालना नहीं की गयी। आदेश के लिये युक्ति युक्त वैध आधार दर्ज नहीं किया। पक्षकारान की उपस्थिति या साक्ष्य के बाबत उल्लेख नहीं किया गया। इस प्रकार विवादित आदेश बिना युक्ति युक्त कारण के बिना वैध्य आधार के विधि विरूद्ध होने से खारीज होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 97 बाबत जमीन खसरा नम्बर 6 रकबा 3.29 हैक्टर वाके ग्राम बाडलवास पर तहसीलदार झुंझुनू का आदेश दिनांक 12.08.2016 को निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 97 की कार्यवाही को अन्तिम रूप से हकुक तय होने तक स्टे किया जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती कि तथा कथन किया कि अपीलान्ट के पिता का देहान्त हो जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 ने अपने 1/5 हिस्से का जबानीदान अपने भाईयों के हक में कर दिया। इस कारण इस जमीन की खातेदारी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 व 7 व फतेहमोहम्मद उर्फ कप्तान को मिली व प्रत्येक का 1/4 हिस्सा रहा। जमीन गत खसरा नम्बर 4 हाल खसरा नम्बर 6 रकबा 3.29 हैक्टर को पहले उक्त अनुसार अपीलान्ट का दादा मोहम्मद बक्स काश्त करता था व काबिज था। दिनांक 19.06.1957 को रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 घीसेखां उर्फ घासीखां करीब 8 या 9 साल का बच्चा था व अपीलान्ट का दादा मोहम्मद बक्स वृद्ध हो चुका था। अपीलान्ट के पिता ने नायब तहसीलदार झुंझुनू से मिलकर इस जमीन का नामान्तरकरण संख्या 16 दिनांक 19.06.1957 को रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 के नाम गलत दर्ज करवा लिया। इस नामान्तकरण में पटवारी हल्का ने यह रिपोर्ट नहीं की कि किस आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया जावें। कालम नम्बर 14 में अजीमुदीन का फौत होना दर्ज किया लेकिन अजीमुदीन का पुत्र घीसेखां होना गलत दर्ज किया गया व निवासी झुंझुनू काटकर फतेहसरा गलत दर्ज किया। अजीमुदीन का वारिस रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 नहीं है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 उस वक्त नाबालिग बच्चा था। जमाबन्दी सम्वत् 2013 से सम्वत 2016 में अजीमुदीन का पुत्र घासीखां उर्फ घीसेखां होना गलत दर्ज है। इस प्रकार उक्त नामान्तकरण विधि विरूद्ध होने से शुन्य है व इसके आधार पर बना राजस्व रिकार्ड बहक रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 अवैध व शुन्य है। बयनामा दिनांक 03.02.2010 में रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 ने अपनी उम्र 61 वर्ष होना दर्ज करवायी जिसके अनुसार भी दिनांक 19.06.1957 को रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 घीसेखां 8 साल का

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

बच्चा था। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 7 आपस में मिले हुये है व अपीलान्ट के खिलाफ साजिस कर रखी है। आपसी सुविधा से करीब 11 साल से अपीलान्ट जमीन खसरा नम्बर 6 रकबा 3.29 हैक्टर में से उत्तर की तरफ की आधी जमीन काश्त करता है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 ने अपीलान्ट को नुकशान पहुचाने की नियत से साजिस कर अपने भाई फतेहमोहम्मद उर्फ कप्तान की लड़की रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के हक में गलत रूप से जमीन खसरा नम्बर 6 रकबा 3.29 हैक्टर में से 1.65 हैक्टर जमीन का दान पत्र दिनांक 19.05.2005 को निष्पादित कर दिनांक 20.05.2005 को उप पंजीयक से सत्यापित करवाया। इस अवैध व शुन्य दान पत्र में बतौर गवाह फतेहमोहम्मद उर्फ कप्तान का नाम दर्ज है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 के लड़के इस्लामुदीन व मुख्तयार व लड़कियां श्रीमती सकीना, श्रीमती रतिया है जो शादी शुदा व परिवार शुदा है। इस प्रकार दान पत्र साजसी व अवैध है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 घीसेखां उर्फ घासीखां ने जमीन खसरा नम्बर 6 रकबा 3.29 हैक्टर वाके ग्राम बाडलवास में से 1.64 हैक्टर जमीन का बयनामा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हक में दिनांक 03.02.2010 को निष्पादित कर सत्यापित करवाया जो बयनामा भी अवैध व शुन्य व बिना हक के है व साजसी है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 के लड़के का नाम बतौर गवाह दर्ज है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 उक्त फतेहमोहम्मद उर्फ कप्तान का लड़का है। इस प्रकार अपीलान्ट के भाईयो ने साजिस कर बयनामा रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हक में करवाया जो बिना प्रतिफल व बिना कब्जे के व बिना अधिकार के होने से शुन्य है। इस बयनामें के आधार पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने दिनांक 12.08.2016 को तहसीलदार झुंझुनू से नामान्तरकरण संख्या 97 दर्ज करवा लिया। अपीलान्ट का उक्त जमीन में 1/4 हिस्सा है व आपसी सुविधा से जमीन खसरा नम्बर 6 में उतरी आधी जमीन को काश्त करता है व काबिज है। इस नामान्तरकरण से अपीलान्ट प्रभावित होता है। गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने के लिये अपीलान्ट द्वारा कहने पर उसके भाई समय निकालते रहे इस अपीलान्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू में दावा उनवानी उस्मान गनी बनाम घीसेखां आदि दावा घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा दावा संख्या 30/2010 दिनांक 03.03.2010 को पेश किया व इस दावे के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 17/2010 पेश की जिसमें दिनांक 05.03.2010 को अस्थाई निषेधाज्ञा हस्तान्तरण न करने निर्माण न करने व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के बाबत पारित की गयी। विवादित नामान्तरकरण दिनांक 11.10.2010 को पटवारी हल्का ने भरा व भु अभिलेख निरीक्षक ने रिपोर्ट की लेकिन उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित होने कारण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हक में नामान्तरकरण संख्या 97 तहसीलदार झुंझुनू द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा सका। उक्त दावे व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पेशी दिनांक 09.06.2016 दी हुई थी। दिनांक 09.06.2016 को न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर पेशी दिनांक 07.09.2016 दी गयी लेकिन बिना सूचना के बिना पेशी के दावा दिनांक 01.06.2016 को अपीलान्ट की अदम हाजरी मे खारीज कर दिया जिसका पता लगने पर अपीलान्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू मे उस्मानगनी बनाम घीसे खां आदि प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सि.प्र.स. दिनांक 29.07.2016 को पेश किया जो दिनांक 04.08.2016 को दर्ज किया गया। दिनांक 17.08.2016 को मु.न. 84/2016 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के खिलाफ नामान्तरकरण दर्ज न करवाने का आदेश पारित किया लेकिन इसी दौरान उक्त प्रकरण के विचाराधीन रहते हुये तहसीलदार झुंझुनू ने दिनांक 12.08.2016 को गलत रूप से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हक में नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जो खारीज होने योग्य है। नामान्तरकरण में पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का ने दिनांक 11.02.2010 को अंकन किया व करीब 6 साल

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

6 माह तक नामान्तरकरण खाली रहा। इस बाबत तथ्यों पर गौर न कर करीब 6 साल 6 माह नामान्तरकरण स्वीकृत करने में भुल की गयी है। भु राजस्व रूल्स 1957 के रूल 133 की पालना नहीं की गयी। पटवारी हल्का व तहसीलदार द्वारा कब्जे की जांच नहीं की गई। नियम 121 के प्रावधान की पालना नहीं की गयी। आदेश के लिये युक्ति युक्त वैध आधार दर्ज नहीं किया। पक्षकारान की उपस्थिति या साक्ष्य के बाबत उल्लेख नहीं किया गया। इस प्रकार विवादित आदेश बिना युक्ति युक्त कारण के बिना वैध्य आधार के विधि विरूद्ध होने से खारीज होने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार झुंझुनू का आदेश दिनांक 12.08.2016 नामान्तरकरण संख्या 97 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस के दौरान नजीर आर.एल.डब्लु 2007 (1)आरजे पेज संख्या 481 व 482 की ओर ध्यान आकर्षित किया व बहस में निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 97 विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किया गया है। अपीलान्ट का यह कथन की नामान्तरकरण बहुत वर्षो बाद तस्दीक हुआ है का कोई तर्क नहीं बनता है। स्टे होने के कारण नामान्तकरण में देरी हुई और स्टे समाप्त होने के बाद नामान्तरकरण दर्ज किया गया। अदालत मातहत द्वारा नामान्तकरण स0 97 पर दिनांक 12.08.2016 को पारित आदेश पूर्ण दस्तावेजो की जांच के बाद दर्ज किया गया है। नामान्तरकरण नियमानुसार व विधिसम्मत् रूप से दर्ज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही है। अपीलान्ट् की अपील में कोई फोर्स नही है, खारिज फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ने अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा नामान्तकरण स0 97 पर दिनांक 12.08.2016 को पारित आदेश विक्रय पत्र की पालना में दर्ज किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही है। अपीलान्ट् की अपील में कोई फोर्स नही है, खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि अदालत मातहत द्वारा विक्रय पत्र की पालना में नामान्तरकरण 97 पर दिनांक 12.08.2016 को आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत् है। अपीलान्ट का यह कथन की सक्षम न्यायालय के स्थगन आदेश के दौरान नामान्तरकरण 97 तस्दीक किया गया है। यदि ऐसा है तो अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में अवमानना का प्रकरण प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र है। अपीलान्ट का स्वयं का यह कथन है कि दावे में ही पक्षकारान के हक अधिकार तय होने है। विक्रय पत्र की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 97 पर पारित आदेश दिनांक 12.08.2016 में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में विचाराधीन वाद द्वारा अपने हक अधिकार तय करवाने हेतु स्वतंत्र है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरे प्रकरण पर पुर्णतया चस्पा होती है। नामान्तरकरण में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 10.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, झुंझुनू